भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के संबंध में राज्य सभा में प्रधान मंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह का वक्तव्य

दिनांक 17 अगस्त,2006

नई दिल्ली

प्रधान मंत्री (डॉ0 मनमोहन सिंह): सभापति जी, मैं इस सम्मानित सदन में खड़े होकर आपको और माननीय सदस्यों को उस सपने के बारे में बताना चाहूंगा जिससे हमें प्रेरणा मिलती है तथा जिसे और किसी ने नहीं बल्कि पं0 जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने हमें दिया था जब उन्होंने आजादी की पूर्व संध्या पर कहा था, "हमारा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम लम्बे समय से चली आ रही घोर गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों, जिनसे अभी भी हमारे देश के करोड़ों लोग पीड़ित है, को दूर नहीं कर लेते।" पिछले साठ सालों में घोर गरीबी को कम करने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है। लेकिन, इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि हमें अपने मन में संजोए हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। महोदय, 1947 में पंडित जी ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा था कि हरेक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना हमारे युग के महानतम व्यक्ति का सपना रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि हो सकता है कि यह हमारे लिए एक कठिन काम हो, लेकिन यह एक ऐसी प्रेरणा है जिससे हमारे जैसे गरीब और अल्प-विकसित देश में सरकारों को सीख लेनी होगी।

महोदय, मुझे पूरा यकीन है कि यदि हमारे पास तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था हो तो घोर गरीबी को दूर किया जा सकता है। हालांकि, मैं यह भी मानता हूं कि तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था अपने आप में गरीबी से मुक्ति दिलाने की कोई पर्याप्त शर्त नहीं है। हमें विशेष रूप से अपने समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की जरूरत है। यदि भारत को अपनी विकास दर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत या उससे अधिक ले जानी है तो इसे ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना होगा। एक सवाल पूछा गया है, 'क्या मैंने इस बात का आकलन किया है कि देश को किस-किस तरह की ऊर्जा की जरूरत है और क्या मैंने उस पर आने वाली लागत का हिसाब लगा लिया है?' सभापति जी, मुझे इसका कुछ आभास था। सन् 1974 में पोखरण परीक्षणों के तुरंत बाद मैं परमाणु ऊर्जा आयोग का वित्त सदस्य बना और डॉ0 रामन्ना, डॉ0 सेठना और डॉ0 आयंगर जैसे अपने सहयोगियों के साथ हमने अपनी ऊर्जा जरूरतों की कमी को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका का आकलन किया।

इस संदर्भ में, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ऊर्जा का उत्पादन करना था। रक्षा की बात तो बहुत देर बाद आई। लेकिन हम

कहां हैं? साठ सालों के बाद हमारा कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन 3,000 मेगावट से अधिक नहीं है। लोग कहते हैं कि हम कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुतायत में कोयला उपलब्ध है। अक्सर घटिया स्तर के कोयले में अधिक मात्रा में राख के तत्व होते हैं। कोयले का ज्यादा इस्तेमाल होने से कार्बन डाईआक्साइड और अन्य गैसों का अधिक उत्सर्जन होगा और उससे पर्यावरण को नुक्सान पहुंचेगा। जहां तक हाइड्रोकार्बन का संबंध है, आप जानते ही हैं कि इसकी आपूर्ति में बहुत अधिक अनिश्चितता है। हम यह भी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस के दाम बहुत कम अवधि में प्रति बैरल सौ डालर तक बढ़ सकते हैं। इसलिए, इस माहौल में समझदारी यही है कि हम अपने ऊर्जा विकल्पों को खुला रखें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि परमाणु ऊर्जा ही इसका आखिरी उत्तर होगा, बल्कि मैं यह कह रहा हूं और समझता हूं कि अपने विकल्पों को खुला रखने से ही हमारा समग्र विकास होगा। और जब ऊर्जा सुरक्षा की बात होती है तो अपने विकल्पों को खुला रखने का मतलब है कि हमें अपने आपको इस काबिल बनाना है कि जिससे हम परमाणु ऊर्जा का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकें। यदि हमारी जरूरतें बढ़ती हैं और यदि आर्थिक हालात की यह मांग हो तो यह सर्वाधिक कम लागत वाला उपाय है।

मेरा मानना है कि यदि विश्व में लगभग तीस सालों से चली आ रही परमाणु व्यवस्था जिसने भारत के साथ परमाणु व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए हैं, को बदला नहीं जाता तो भारत को अपने विकास के विकल्पों विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा की मांग को लेकर बहुत अधिक अनिश्चितता के दौर से गुजरना पड़ेगा। श्री अरुण शौरी ने मुझसे पूछा कि मैंने कौन सी गणनाएं देखी हैं। मैं कहता हूं कि परमाणु ऊर्जा विभाग में मैंने कई गणनाएं देखी हैं। अस्सी के दशक में जब श्री के.सी.पंत ऊर्जा नीति समिति के अध्यक्ष थे, एक विस्तृत अध्ययन किया गया था और इसमें बताया गया था कि यदि बिजली का उत्पादन करके उसे कोयला खदान से 700 कि.मी.दूर पहुंचाना है तो इसके लिए आर्थिक दृष्टि से सही उत्तर परमाणु ऊर्जा ही है। चीजें बदली जा सकती हैं। और मैं समझता हूं कि योजना आयोग ने अभी जो काम किया है उससे वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि परमाणु विकल्प से हमें ऊर्जा के क्षेत्र में अत्यधिक सुरक्षा मिलेगी। यह हमारी ऐसी सोच है जिससे प्रेरित होकर हम परमाणु व्यवस्था को बदलने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं।

वस्तुतः हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। हमारे पड़ोस में परमाणु हथियारों का जमावड़ा हमारे लिए चिंता की बात है और, इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक ओर जहां हम वैश्विक निरस्त्रीकरण के लिए अथक काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं दूसरी ओर, हमें यह भी समझना होगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां यह आज, कल या परसों होने वाला नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अनिश्चितता है और जहां कुछ भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं वाजिब हैं। परमाणु हथियार कार्यक्रम, जिसकी स्वायत्तता और स्वंतत्रता पूरी तरह से हमारे अपने आकलन पर निर्भर है, हमारी परमाणु नीति के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में बना रहेगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि यदि हम यथा-स्थिति से हटने की कोशिश करेंगे तो समझो कि हम जोखिम उठा रहे हैं। बदलाव बहुत विघटनकारी होता है। इससे मौजूदा संस्थाएं, सोचने के मौजूदा ढंग सभी गड़बड़ा जाते हैं। जबकि यथा-स्थिति में संतोष, वास्तविकता के आधार पर टिका होता है। यदि कोई भविष्य की योजना बना रहा हो और भविष्य अनिश्चितता से घिरा हो तो वह जोखिम उठा रहा होता है और वह उसके लिए गलत हो सकता है। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बदलाव अटल है। इस देश को अपने भविष्य के बारे में बड़ा सोचने के लिए तैयार रहना होगा। यदि हमारा यही सपना हो, यही मिशन हो तो मैं समझता हूं कि हमने जिस रास्ते को चुना है वह सही रास्ता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि हम इसमें सफल होंगे अथवा नहीं।

वस्तुतः यदि मुझे इस बहस को शुरू करने की इजाजत दी गई होती तो मैंने उन जोखिमों को रेखांकित कर दिया होता जिनका हम सामना कर रहे हैं। और हो सकता था कि इसके आखिर में सम्पूर्ण सदन यह कह देता कि यही बातें और यही दृष्टिकोण तो हम चाहते थे। लेकिन मुझे वह अवसर नहीं दिया गया। यहां तक कि मैंने दोनों सदनों में आग्रह किया था कि मैं एक स्वतःवक्तव्य देना चाहता हूं जिसमें हमारे दृष्टिकोण, लक्ष्यों और उन जोखिमों तथा अनिश्चितताओं का जिक्र होगा जिनका हम सामना कर रहे हैं। साथ ही इन जोखिमों और अनिश्चितताओं का हम कैसे मुकाबला करेंगे, इसका भी उल्लेख होगा।

महोदय, मुझे वर्ष 1991 की याद है जब श्री यशवंत सिन्हा ने मुझे दिवालिया अर्थव्यवस्था सौंपी थी जिसमें दो हफ्ते से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। मुझे इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक हफ्ते के भीतर कोई कार्यक्रम तैयार करना था। एक महीने के अन्दर मुझे ऐसा बजट पेश करना था जिसमें इस तरह से दूरगामी बदलावों की जरूरत थी जिस तरह से हमें अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचने के लिए बताया गया था। सन् 1992 में उसी मौके पर जब मैं अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए उठा तो सारा विपक्ष, दक्षिण और वाम, खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझ पर महाभियोग चलाया जाए क्योंकि मैंने यह बजट वाशिंगटन के परामर्श से तैयार किया है और यह भी कि मैं एक अमेरिकी एजेंट हूं। मैंने इस तरह की बातों के साथ जीना सीखा है। इसलिए, मुझे आश्चर्य नहीं होता जब आज भी इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं मजबूत हूं अथवा कमजोर, यह इतिहास ही तय करेगा। लेकिन, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि मैं इन जोखिमों को समझता हूं कि समस्त आधुनिक समाजों में सुधार कार्य किए जाते हैं।

मैं हाल ही में मैशिएवेल्ली को पढ़ रहा था। मैं "द प्रिंस" के एक पैराग्राफ को उद्धृत करना चाहूंगाः "इस बात को समझ लेना चाहिए कि किसी भी चीज की एक नई व्यवस्था शुरू करने से ज्यादा कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जिसे किया न जा सकता हो, जिसमें सफलता मिलने का अधिक संदेह बना हो, जिसे संभालने में अधिक खतरा हो। क्योंकि

सुधारक के दुश्मन उन सभी में होते हैं जिन्हें पुरानी व्यवस्था से लाभ मिलता है, और केवल कुछ समर्थक ही उनमें होते हैं जो नई व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले होते हैं। यह अनुत्साह कुछ तो उनके उन विरोधियों के डर से उत्पन्न होता है जिनके पक्ष में कानून होता है; और कुछ उन लोगों के अविश्वास से पैदा होता है जो किसी भी नई चीज में तब तक पूरी तरह से यकीन नहीं करते जब तक उन्हें इसका अनुभव नहीं हो जाता। इससे यह बात सामने आती है कि जब भी सुधारक पर कटाक्ष करने का कोई मौका मिलता है, उसके विरोधी अपने समर्थकों के साथ उत्साहपूर्वक ऐसा करते हैं, जबकि दूसरे लोग आधे-अधूरे मन से उसका समर्थन करते हैं। इस तरह, उसके लिए इन दोनों पक्षों के बीच चलना खतरे से भरा काम होता है।"

इसलिए, मैं ऐसे जोखिमों से वाकिफ हूं जिन्हें मैं उठा रहा हूं। श्री टी.टी.कृष्णमाचारी ने एक बार मुझसे कहा था कि दिल्ली की सड़कों पर टाइगर शिकार की खोज में रहते हैं। मैं इन जोखिमों से वाकिफ हूं, किन्तु भारत के हित के लिए मैं इन जोखिमों को मोल लेने के लिए तैयार हूं।

सभापति जी, मुझे क्षमा करना यदि मैं इस मौके पर थोड़ा भावुक हो उठूं। मैं पंजाब की दूसरी तरफ एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति था जो हाईस्कूल में पहुंचा। मेरे पिताजी ने आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी और नाभा तथा जैतो मोर्चाओं, जो उस समय शुरू हुए थे, में स्वतंत्रता सेनानी बन गए।

मैं राजनीति में नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे खून में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार की भावनाएं हैं। मैं राजनीति में देर से आया हूं, लेकिन यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हूं जो भारत की आजादी के लिए लड़ी, वह पार्टी जिसने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, राजीव गांधी आदि जैसे महान नेता दिए। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर किसी भी पार्टी को निश्चय ही गर्व होगा। मैं इस सदन के समक्ष खड़े होकर ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि इस राष्ट्र ने मुझे प्रधानमंत्री के पद की जो जिम्मेदारी सौंपी है, वह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे मैं नहीं चाहता था लेकिन यह मेरे ऊपर आ गई। फिर भी, इन दो वर्ष और तीन महीनों में मेरा यही प्रयास रहा है कि में इस राष्ट्र के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए बेहतर काम करूं।

मैंने यह वादा 1991 में उस समय किया था जब मैंने अपने पहले बजट भाषण में कहा था, "धरती पर कोई भी ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती जिसको व्यक्त करने का समय आ गया हो।" मैंने उस समय कहा था, "विश्व अर्थव्यवस्था के एक बड़े ध्रुव के रूप में भारत का उभरना एक ऐसा ही विचार है जिसका समय आ गया है।" मैंने यह भी कहा था, "मैं अपने आपको इस कार्य के लिए समर्पित कर दूंगा।" दक्षिण और वाम ने मेरी

आलोचना की थी, नामों और उप-नामों का इस्तेमाल किया था। 15 सालों के बाद, आज भला कौन कहेगा कि मैंने तब जो कुछ किया वह गलत था। इस राष्ट्र का कद बढ़ा है, देश को अपने आप पर गर्व है और यह तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। यदि भारत आगे नहीं बढ़ा होता, यदि हमने सुधार कार्यक्रम नहीं चलाए होते तो भारत नब्बे के दशक के एशियाई संकट का मुकाबला कैसे कर पाता, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इसलिए, महोदय, हालांकि मेरा राजनीतिक अनुभव नया हो सकता है परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह कुछ अनुभव से ही कह रहा हूं। यद्यपि मेरे पास जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी अथवा अरुण शौरी जी जैसी दक्षता नहीं है, फिर भी, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि भारत सेवा, जैसा कि पं0 जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, का अर्थ है, उन सभी लाखों-करोड़ों लोगों की सेवा करना जिन्हें दिन-रात कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह वह सपना है, वह मिशन है जो मुझे प्रेरणा देता है और मेरे शेष जीवन में मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। धरती पर कोई भी ताकत मुझसे इस विशेषाधिकार को नहीं छीन सकती। मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा। महोदय, अब मैं आज की चर्चा के विषय पर आता हूं।

सबसे पहले, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है। इस चर्चा से उठे कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए मुझे मौका दिया इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मैं निष्पक्ष होकर ऐसा करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि अपना स्पष्टीकरण देने के बाद, मैं संपूर्ण सदन को अपने साथ लेकर चल सकूंगा। हमारी सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में पूरी चर्चा कराने में कभी भी संकोच नहीं किया है। मैंने पहले तीन अवसरों पर -- 29 जुलाई, 2005, 27 फरवरी, 2006 और 7 मार्च, 2006 को इस सम्मान्य सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत वक्तव्य दिये थे और चर्चा की थी। एक बार फिर, मौजूदा चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे उठाए गए हैं और मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। मैं इस वर्ष 7 मार्च को दिये गए अपने पिछले स्वतः वक्तव्य के बाद हुई प्रगति को भी शामिल करना चाहता हूं।

2. सदन में हुई चर्चा के दौरान दो तरह की टिप्पणी की गईं है। पहले कुछ मुद्दे हमारी विदेश नीति के बुनियादी स्वरूप से संबंधित हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि अमेरिका के साथ चर्चा करते हुए तथा उसकी अपेक्षाओं पर कथित तौर पर मौन सहमति जताकर, हमने अपनी विदेश नीति के स्वतंत्र स्वरूप से समझौता किया है।

3. दूसरे कुछ मुद्दे 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य और 2 मार्च की पृथक्करण योजना से विचलन से संबंधित हैं। माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कई बिन्दु संसद से बाहर, विशेषकर वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा भी व्यक्त किये गए हैं। कुल मिलाकर, जो

महत्वपूर्ण चिंताएं व्यक्त की गईं हैं, उनमें ये शामिल हैं : कि भारत-अमेरिका परमाणु पहल और विशेषकर अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तावित कानून की विषय-वस्तु से हमारी निर्णय लेने की स्वायत्तता कम हो सकती है; हमारे सामरिक कार्यक्रम की अखंडता से समझौता किया जा सकता है अथवा उसके विकल्प सीमित हो सकते हैं; और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर, इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भारत की सामरिक परमाणु स्वायत्तता से समझौता किया जा रहा है और भारत स्वयं ही उन नई और अस्वीकार्य शर्तों को मानने के लिए दबाव में आ रहा है, जोकि जुलाई, 2005 और इस वर्ष फरवरी और मार्च में मेरे द्वारा किये गए वादों से विचलन है।

4. मैं मानता हूं कि इनमें से कई चिंताएं इस धारणा पर आधारित हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे उन चिरकालिक नीतियों को नुकसान पहुंचता हो जो भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर आधारित हैं। मैं इन भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं और उनका समर्थन करता हूं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि नागरिक परमाणु सौदे के बारे में अमेरिका से किये गए समझौतों से हमारी नीतियों के बुनियादी स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है अथवा ना ही राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से हमारे निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ा है। पिछले साल अमेरिका के अपने दौरे के समय मैंने नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित किया था जिसमें बड़ी संख्या में मीडिया के लोग उपस्थित थे। मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में मेरे क्या विचार हैं। बड़ी तादाद में मौजूद मीडिया के लोगों के सामने मैंने कहा कि यह एक भूल थी। यही बात मैंने राष्ट्रपति श्री बुश से भी उस समय कही जब वे भारत के दौरे पर आए थे। मैंने कहा कि भारत, शासन बदलने के पक्ष में नहीं है।

5. हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना है। हम स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता पर अटल हैं। हम बढ़ते हुए परस्पर-निर्भर और बहु-ध्रुवीय विश्व में मौजूदा जटिलताओं को समझते हैं। यद्यपि हम इस बात को मानते हैं कि अमेरिका विश्व में सबसे बड़ी शक्ति है और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हमारे राष्ट्रीय हित में हैं, लेकिन इससे हमारे निर्णय पर किसी तरह से असर नहीं पड़ा है। अमेरिका के साथ कई क्षेत्रों में सहमति हुई है, लेकिन साथ ही ऐसे कई क्षेत्र भी हैं जिनमें हमारे मतभेद हैं और हमने इन्हें अमेरिका को बताने और सार्वजनिक करने में कोई संकोच नहीं किया है। इस समय हम न केवल अमेरिका बल्कि रूस, चीन, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसी अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ भी संबंध बना रहे हैं। हम **आसियान** तथा पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के देशों पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने पर अपेक्षाकृत अधिक समय दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। इन सभी देशों के साथ हमारे संबंध हमारे प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित की मांग पर निर्धारित किये जाते हैं और हमने अमेरिका सहित किसी भी अन्य देश को अपनी नीतियों को

प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी है। इसमें तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक मैं प्रधान मंत्री हूं।

6. इसलिए, व्यक्त की गईं आशंकाओं को देखते हुए मैं यह दोहराना चाहूंगा कि भारत के साथ परमाणु सहयोग पर प्रस्तावित अमेरिकी कानून को भारत की प्रभुसत्ता से समझौता करने का साधन नहीं बनने दिया जाएगा। हमारी विदेश नीति पूर्णतः हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। विदेश में बना कोई भी कानून उस प्रभुसत्ता-संपन्न अधिकार को हमसे छीन नहीं सकता। इसलिए विदेशी विधानमंड़ल द्वारा पारित कानून से भारत के बाध्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी विदेश नीति के सम्बन्ध में हमारा एक मात्र मार्गदर्शक सिद्धांत, चाहे यह ईरान के बारे में हो, अथवा किसी अन्य देश के बारे में हो, पूरी तरह हमारे राष्ट्रीय हित पर आधारित होगा।

7. अब मैं कुछ अन्य चिंताओं की ओर आता हूं जो 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना के बारे में इस सम्मान्य सदन में मेरे द्वारा दिये गए आश्वासनों से संभावित विचलनों के बारे में कुछ दूसरे मुद्दों पर व्यक्त की गईं हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि इस बाबत ना तो कोई समझौता किया गया है और ना ही किया जाएगा तथा सरकार भविष्य में ऐसा कोई समझौता करने की अनुमति नहीं देगी।

8. माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति बुश के भारत दौरे के दौरान 18 जुलाई, 2005 के भारत-अमेरिकी संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन के मद्देनज़र एक पृथक्करण योजना पर भारत और अमेरिका के बीच करार हुआ था। इस पृथक्करण योजना में उन परमाणु संयंत्रों को चिन्हित किया गया था, जिन्हें भारत, अमेरिका द्वारा की गई पारस्परिक कार्रवाई के अधीन, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के तहत चरणबद्ध तरीके से रखने के लिए तैयार था। अमेरिकी प्रशासन को अपने कानूनों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कांग्रेस के पास जाना था और परमाणु आपूर्ति समूह को अपने दिशानिर्देशों को अनुकूल बनाना था ताकि भारत और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग हो सके।

9. तत्पश्चात्, अमेरिकी प्रशासन 1954 के अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम के कतिपय प्रावधानों, जो इस समय भारत के साथ नागरिक ऊर्जा सहयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं, में संशोधन करने हेतु अमेरिकी कांग्रेस के पास गया। अमेरिकी प्रतिनिधि-सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समिति ने 27 जून, 2006 को इस विषय पर एक विधेयक पारित किया। प्रतिनिधि-सभा ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की समिति द्वारा अनुमोदित विधेयक को 27 जुलाई को पारित कर दिया।

10. सीनेट की विदेश संबंध समिति ने विधेयक के इस रूपांतर को 29 जून, 2006 को पारित कर दिया। आशा है कि अब अमेरिकी सीनेट विधेयक के इस रूपांतर पर सितम्बर में किसी समय मतदान करेगी। विधेयक के हाऊस और सीनेट रूपांतरों के बारे में हमारी चिंताएं हैं। चूंकि दोनों विधेयक विषयवस्तु में भिन्न हैं, अमेरिकी पद्धति के अनुसार, एक ही विधान प्रस्तुत करने के लिए उनमें मेल खाना जरूरी होगा। अमेरिकी हाऊस और सीनेट - दोनों द्वारा पारित हो जाने के बाद यह विधेयक उस समय कानून बन जाएगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन दे देंगे। इसलिए, कानून का आखिरी स्वरूप तभी सामने आएगा जब हाऊस और सीनेट सहमति/अंगीकरण के दूसरे चरण को पूरा कर लेंगे।

11. इसी बीच, अमेरिकी सरकार ने परमाणु आपूर्ति समूह से अपने दिशानिर्देशों को अनुकूल बनाने के लिए आग्रह किया है ताकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग हो सके। इस वर्ष मार्च में, परमाणु आपूर्ति समूह ने ब्राजील में हुई अपनी पूर्ण बैठक में इस मुद्दे पर एक प्रारंभिक चर्चा की। इस मामले पर परमाणु ऊर्जा समूह द्वारा इस वर्ष के आखिर में और चर्चा की जाएगी। अपनी ओर से, हमने इस मुद्दे को कई देशों के साथ अलग से उठाया है और उनसे आग्रह किया है कि वे भारत के लिए परमाणु आपूर्ति पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को हटा लें। मैंने स्वयं भी अन्य देशों के साथ-साथ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ब्राजील, नॉर्वे, आइसलैन्ड और साइप्रस के राष्ट्राध्यक्षों अथवा सरकारों के साथ यह मसला उठाया है।

12. माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए, मैं प्रत्येक चिंता का कुछ विस्तार से समाधान करने की कोशिश करूंगा। तथापि, मैं इस बात पर जोर देते हुए शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारी नीति जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य और मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना में निहित समझौतों पर आधारित है। परमाणु सहयोग करने के लिए अमेरिका के साथ जिस बात पर हम सहमत हो सकते हैं, वह पूरी तरह से इन्हीं मापदंडों के भीतर ही होगी।

13. जिन प्रमुख प्रावधानों के बारे में संसद में और संसद के बाहर उल्लेख हुआ है वे निम्नप्रकार हैं:

(i) **<u>पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग:</u>** नागरिक परमाणु सहयोग पर अमेरिका के साथ हमारी चर्चाओं में मुख्य बात यह है कि वर्षों से भेदभावपूर्ण व्यवस्थाओं के जरिए भारत पर लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों को पूर्ण रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से हटाना सुनिश्चित किया जाए। हम चाहते हैं कि नागरिक परमाणु ऊर्जा--परमाणु ईंधन की आपूर्ति और परमाणु रिएक्टरों से लेकर इस्तेमाल में लाए गए ईंधन की फिर से प्रोसेसिंग अर्थात एक पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र के सभी पहलुओं तक--से संबंधित

सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सभी पहलुओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए।

यह जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय परमाणु समुदाय के एक पूर्ण और बराबर भागीदार के रूप में भारत की स्वीकार्यता की पक्की गारंटी होगी, वहीं दूसरी ओर, हमारे तीन स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की अखंडता सुरक्षित रहेगी तथा हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की स्वायत्तता भी बनी रहेगी। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमें पूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग जैसा कि ऊपर बताया गया है, के लाभों को प्राप्त करने से वंचित रखे।

(ii) **परस्पर आदान-प्रदान के सिद्धांतः** मैंने पहले भी संसद को विश्वास दिलाया था कि जुलाई, 2005 के वक्तव्य में निहित हमारे समझौते के कार्यान्वयन के लिए परस्पर आदान-प्रदान प्रमुख बात है। मैं इस प्रतिबद्धता से बंधा हुआ हूं। जब हमने पृथक्करण योजना को पेश किया था तब हमने अमेरिका को फिर से यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत से इन दायित्वों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि भविष्य में प्रतिबंधों के उठने की प्रत्याशा में वह अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी में रख देगा। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय सहयोग के समझौते पर एक दौर की चर्चा की है। भारत और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भारत-विशिष्ट निगरानी समझौते के संबंध में तकनीकी चर्चा की है। इन दोनों दस्तावेजों पर आगे और चर्चा करने की जरूरत है। इन समानान्तर प्रयासों के चलते हमारा रुख यह है कि भारत पर लगे सभी परमाणु प्रतिबंध हटा लेने पर ही हम परमाणु संयंत्रों पर चरणबद्ध रूप में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी को स्वीकार करेंगे, और जैसा कि पृथक्करण योजना में इस प्रयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। पिछले वर्ष 29 जुलाई को मैंने कहा था कि अपने नागरिक परमाणु संयंत्रों को स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखने से पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएं। इस मुद्दे पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

(iii) **प्रमाणीकरणः** सीनेट बिल के मसौदे के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को एक वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है जिसमें यह प्रमाण दिया जाता है कि भारत परमाणु अप्रसार और अन्य प्रतिबद्धताओं का पूर्णतया पालन कर रहा है। हमने इन प्रावधानों पर अपने विरोध के बारे में अमेरिका को साफ बता दिया है। हालांकि इन्हें भारत पर बाध्यकारी न होने के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन ये जुलाई के वक्तव्य के बिल्कुल उलट हैं। हमने अमेरिकी प्रशासन को बता दिया है कि इस प्रकार के प्रमाणीकरण से प्रतिबंधों को स्थाई आधार पर नहीं बल्कि वार्षिक आधार पर हटाया जाएगा। हमने यह

भी संकेत दिया है कि इससे भावी सहयोग की अनिश्चितता बनी रहेगी और यह हमें स्वीकार्य नहीं है।

(iv) **उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी रखने वाले देश के रूप में भारतः** माननीय सदस्यों को याद होगा कि जुलाई के वक्तव्य में इस बात को स्वीकार किया गया था कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में समझा जाए जिसके पास उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी है और जिसे वैसे ही अधिकार और लाभ प्राप्त होने चाहिए जो अमेरिका जैसे उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले अन्य देशों को प्राप्त हैं। जुलाई के वक्तव्य में भारत का एक परमाणु हथियार सम्पन्न देश के रूप में उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि उसका परमाणु अप्रसार संधि में एक विशेष संकेतार्थ है, बल्कि इसमें भारत के सैन्य परमाणु संयंत्रों की मौजूदगी को साफ तौर स्वीकार किया गया है। इसका यह भी अर्थ है कि भारत उस पूर्ण निगरानी के दायरे में नहीं आएगा जैसा कि परमाणु हथियार न रखने वाले उन देशों पर लागू होता है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही, भारत के परमाणु हथियारों से जुड़ी गतिविधियों को जारी रखने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इन महत्वपूर्ण विषयों में, भारत पांचों परमाणु हथियार सम्पन्न देशों के ही समकक्ष होगा जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह, पृथक्करण योजना में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट निगरानी समझौता किया गया है जिसमें रिएक्टरों के लिए निर्बाध रूप से ईंधन की आपूर्ति करने और ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उपचारात्मक उपाय करने के भारत के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। हमने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि भारत का सामरिक कार्यक्रम जुलाई के वक्तव्य के दायरे से पूरी तरह बाहर है, और हम ऐसे किन्हीं भी कानूनी प्रावधानों का विरोध करते हैं जिनमें या तो हमारे परमाणु हथियार कार्यक्रम अथवा निगरानी के दायरे से बाहर के हमारे परमाणु संयंत्रों की जांच जरूरी हो।

(v) **निगरानी समझौता और ईंधन आपूर्ति का आश्वासनः** इस संबंध में भी यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2006 की पृथक्करण योजना में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट निगरानी समझौते में यह प्रावधान किया गया है जिसमें अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखे जाने वाले रिएक्टरों के लिए निर्बाध रूप से ईंधन की आपूर्ति करने और ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उपचारात्मक उपाय करने के भारत के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। वस्तुतः हमारे पास अपने हितों की पूरी रक्षा करने हेतु सभी समुचित उपाय करने का सम्प्रभु अधिकार है। एक महत्वपूर्ण आश्वासन है - भारत के रिएक्टरों को उनके जीवनकाल तक परमाणु ईंधन का स्ट्रेटजिक रिजर्व तैयार करने के भारत के अधिकार का समर्थन करने की प्रतिबद्धता। हमने भारत-विशिष्ट निगरानी समझौते पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ विशेषज्ञ स्तर पर तकनीकी चर्चाएं शुरू की हैं। अमेरिका के

साथ द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौता और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट निगरानी समझौता दोनों ही जुलाई के वक्तव्य और मार्च की पृथक्करण योजना के मापदण्डों के दायरे में ही होंगे। इस बात का कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ किसी निगरानी समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है या ऐसे किसी अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर जैसा कि परमाणु हथियार न रखने वाले उन देशों ने किया है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। निगरानी के दायरे में रखे गए हमारे परमाणु संयंत्रों के बारे में जिन प्रमाणीकरण उपायों का उल्लेख अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत-विशिष्ट निगरानी समझौते में किया गया है, उन्हें छोड़कर अन्य दूसरे उपायों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए, अमेरिकी निरीक्षकों को हमारे परमाणु संयंत्रों के इर्द-गिर्द घूमने की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता।

(vi) **हमारे सामरिक कार्यक्रम की अखण्डता और विश्वसनीयता--निर्णय लेने और भावी वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास की स्वायत्तता:** मैंने **7 मार्च, 2006** के अपने वक्तव्य में संसद को आश्वासन दिया था कि पृथक्करण योजना से हमारे सामरिव्ता कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आज इस प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। पृथक्करण योजना को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि हमारी मौजूदा और आंकी गई भावी जरूरतों के आधार पर हमारे सामरिक कार्यक्रम के लिए विखंड्य सामग्री और अन्य सामग्री पर्याप्त रूप में सुनिश्चित हो सकें। हमारे तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की अखण्डता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमाणु क्षेत्र में हमारे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों, जिनमें हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का विकास और थोरियम कार्यक्रम भी शामिल है, की स्वायत्तता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अपने सामरिक कार्यक्रम के विकास में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने सामरिक कार्यक्रम की किसी भी तरह से बाह्य जांच की अनुमति नहीं देंगे, ना ही हम इसे भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भावी परमाणु सहयोग की एक शर्त के रूप में स्वीकार करेंगे।

vii) **विखंड्य सामग्री के उत्पादन पर स्थगन:** इस मामले में हमारा रुख बिल्कुल साफ है। हम विखंड्य सामग्री के उत्पादन पर स्थगन को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हुई फिसाइल मैटीरियल कटऑफ ट्रीटी पर ही वार्ता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसका वादा पिछली सरकार ने किया था। निरस्त्रीकरण सम्मेलन में फिसाइल मैटीरियल कट ऑफ ट्रीटी को जब भी अंतिम रूप दिया जाता है, भारत इसमें तब ही शामिल होना चाहेगा जब यह भेदभाव रहित हो, इसमें बहुपक्षीय चर्चा हुई हो और यह अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रमाणीकृत हो और साथ ही, इसमें हमारे सुरक्षा हितों का पूरा खयाल रखा गया हो।

(viii) **भेदभाव रहित विश्व परमाणु निरस्त्रीकरणः** भेदभाव रहित विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में हम अपनी प्रतिबद्धता पर राजीव गांधी कार्य योजना की तरह अटल हैं। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते जो क्षेत्रीय परमाणु अप्रसार अथवा क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण के लिए समय-समय पर पेश किए जाते हैं। विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण तक, भारत के एक परमाणु हथियार रहित देश के रूप में परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होने अथवा अभी या भविष्य में भारत को परमाणु आपूर्तियों की जरूरत के रूप में पूर्ण रूप से निगरानी स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ix) **भावी सहयोग की समाप्तिः** प्रस्तावित अमेरिकी कानून में प्रावधान हैं कि यदि भारत द्वारा परमाणु विस्फोट किया जाता है तो अमेरिका को आगे और सहयोग को खत्म करने का अधिकार है। इस पर हमारा रुख एकदम साफ है। अमेरिका को सूचित कर दिया गया है कि भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते में परमाणु विस्फोट को भावी सहयोग की एक शर्त के रूप में हमें स्वीकार्य नहीं है। हम परमाणु परीक्षण पर एकतरफा स्वैच्छिक रोक से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि जुलाई के वक्तव्य में बताया गया है। यह उन दूसरे अनुचित अप्रसार सिद्धांतों के लिए भी सच है जिनका प्रस्तावित अमेरिकी कानून में उल्लेख है। भारत द्वारा परमाणु हथियार रखना और उनका विकास करना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है और यह बना रहेगा।

14. माननीय सदस्य इस तथ्य को समझेंगे कि परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत, विशेषकर जब इसमें तीन दशकों से अधिक समय से लागू प्रतिबंधित व्यवस्थाओं को समाप्त करने का मामला जुड़ा हो, एक जटिल और संवेदनशील कार्य है। आज हम नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं लागू करने के लिए जो कुछ प्रयास कर रहे हैं, उससे तीन दशकों से लगे भेदभावपूर्ण प्रतिबंध दूर हो जाएंगे। इसलिए यह अपरिहार्य है कि कुछ परस्पर-विरोधी खींचतान और दबाव होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत दबावों के सामने झुक जाएगा अथवा उन शर्तों को स्वीकार कर लेगा जो इसके राष्ट्रीय हितों के विपरीत हैं ।

15. मैंने इस मुद्दे पर पिछले माह सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति बुश से व्यक्तिगत रूप से बात की थी और उन्हें अवगत करा दिया था कि प्रस्तावित अमेरिकी कानून पूरी तरह से 18 जुलाई, 2005 के वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना के मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। यही भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग के लिए एकमात्र स्वीकार्य आधार होगा। भारत इस सहमत ढांचे से बाहर कोई अतिरिक्त वादे नहीं कर सकता और करने के लिए तैयार भी नहीं है अथवा ना ही किन्हीं असंगत मुद्दों को पेश करने की अनुमति देगा। मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति से आश्वासन मिला है कि लक्ष्यों से हटने की उनकी कोई मंशा नहीं है और यह कि, सहयोग के दायरे के मापदंड वही होंगे जो जुलाई, 2005 के संयुक्त

वक्तव्य और मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना में निहित हैं। व्हाइट हाउस के 26 जुलाई, 2006 के प्रशासन नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भारत की कुछ चिंताओं, हालांकि सभी नहीं, को स्वीकार किया गया है और बतलाया गया है कि प्रशासन ने उन्हें कांग्रेस के समक्ष व्यक्त कर दिया है।

16. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी स्थिति में कोई अस्पष्टता नहीं है, जहां तक इसे अमेरिका को अवगत कराने का संबंध है। अमेरिका हमारी स्थिति से वाकिफ है कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि जुलाई, 2005 के वक्तव्य और मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। मुझे आशा है कि द्विपक्षीय भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को संपन्न करते समय इस सदन में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, मैं ईमानदारी से और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं अमेरिकी कानून के अंतिम स्वरूप अथवा परमाणु आपूर्ति समूह, जिसमें अलग-अलग विचारधाराओं वाले 45 देश शामिल हैं, के साथ चल रही इस प्रक्रिया के निष्कर्ष के बारे में निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हमें आशा है कि इससे हमारे हितों की पूरी तरह से रक्षा होगी और भारत पर तीन दशकों से लगे प्रतिबंध पूरी तरह से हट जाएंगे। यदि ऐसे निष्कर्ष को मूर्त रूप दे दिया जाता है, तो इससे परमाणु शक्ति में तेजी से वृद्धि करके हमारी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी देने से इन्कार करने वाली व्यवस्थाएं ढह जाएंगी, जिन्होंने विशेषकर हाई-टेक क्षेत्रों में हमारे विकास में रोड़े अटकाए हैं। मैं इस महत्वपूर्ण मसले पर व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्यों, परमाणु तथा वैज्ञानिक समुदायों और अन्य लोगों से व्यापक बातचीत करूंगा। मैं सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने 26 अगस्त को परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्यों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। मैंने इसी दिन उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के एक दल को भी मिलने के लिए आमंत्रित किया है जिन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

17. अंत में, मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि संसद और राष्ट्र से किये गए अपने वादों पर कायम रहने के लिए हम ऐसी कोई भी शर्त स्वीकार नहीं करेंगे जो भारत और अमेरिका के बीच सहमति-प्राप्त 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य तथा 2 मार्च, 2006 की पृथक्करण योजना के मापदंडों से बाहर जाती हों। यदि अमेरिकी कानून के अंतिम रूप में अथवा परमाणु आपूर्ति समूह के अनुकूल दिशानिर्देशों में भारत पर असंगत शर्तें थोपी जाती हैं, तो संसद में किये गए मेरे वादों के अनुरूप सरकार आवश्यक निष्कर्ष निकालेगी।

(प्रधानमंत्री ने वामदलों द्वारा उठाए गए मुद्दों के भी निम्नलिखित जवाब दिए)

1. क्या इस समझौते से भारत को "संपूर्ण" असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी मिलेगी और परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने की वजह से दोहरे इस्तेमाल वाली प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में भारत पर लगाए गए सभी मौजूदा प्रतिबंध उठा लिए जाएंगे ।

उत्तर - जुलाई वक्तव्य में संपूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग का लक्ष्य निहित है । यह लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है, जब भारत के साथ परमाणु व्यापार पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को पूरी तरह उठा लिया जाए । जुलाई वक्तव्य के अनुसार, अमरीका ने अपने कानून में संशोधन करने तथा परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता समूह(एनएसजी) के दिशा-निर्देशों को तद्नुकूल बनाने के लिए उससे सम्पर्क करने के उद्देश्य से कदम उठाए हैं । हम चाहते हैं कि सहयोग के सभी पहलुओं और परमाणु ईंधन की आपूर्ति से लेकर परमाणु रिएक्टरों, इस्तेमाल किए गए ईंधन की फिर से शोधन यानि संपूर्ण परमाणु ईंधन आपूर्ति के सभी पहलुओं तथा असैन्य परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर से सभी प्रतिबंध हटाए जाएं । केवल इसी प्रकार का सहयोग जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के अनुकूल होगा ।

2. ईरान की तरह भारत की विदेश नीति पर प्रतिबंध स्वीकार नहीं किए जा सकते, चाहे ये नीतिगत रूप में हों या फिर अमरीकी सदन में बनाए गए कानून में व्यक्त सदन की मंशा के रूप में हों।

उत्तर - सरकार इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम केवल जुलाई के संयुक्त वक्तव्य तथा पृथक्करण योजना में निहित मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध हैं । हम विदेश नीति के बारे में असंगत मुद्दों को शामिल करना स्वीकार नहीं कर सकते । इस बारे में किसी भी प्रकार के निर्देशात्मक सुझाव हमें स्वीकार्य नहीं हैं । हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्धारित होती है और होती रहेगी । किसी अन्य देश का कोई भी कानून हमसे हमारे संप्रभु अधिकार नहीं छीन सकता ।

3. अमरीकी कांग्रेस द्वारा "123 न्यूक्लीयर को-ओपरेशन एग्रीमेंट" को मंजूर किए जाने के बाद ही आईएईए के असैन्य परमाणु कार्यक्रमों के बारे में सुरक्षा-उपायों पर स्थाई रूप से हस्ताक्षर किए जाएं । आईएईए सुरक्षा-उपायों पर हम हस्ताक्षर करें, इससे पहले भारत पर लगाए गए सभी प्रतिबंध उठा लिए जाने चाहिए ।

उत्तर - वाशिंगटन से वापिस आने के बाद 29 जुलाई, 2005 को मैंने संसद को बताया था कि हमारे परमाणु संयंत्रों को आईएईए सुरक्षा-उपायों के तहत लाने के पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत पर लगाए गए सभी प्रतिबंध उठा लिए गए हैं । अमरीका के साथ जिस पृथक्करण योजना पर सहमति हुई है, उसके अंतर्गत भारत ने अपने मौजूदा काम कर रहे 14 रिएक्टरों या 2006 तथा 2014 के बीच निर्माणाधीन रिएक्टरों को आईएईए के सुरक्षा-उपायों के तहत लाने की पेशकश की है । भारत पर लगाए गए सभी परमाणु प्रतिबंधों

को उठा लिए जाने के बाद ही पृथक्करण योजना में शामिल परमाणु संयंत्रों को सुरक्षा-उपायों के लिए पेश किया जाएगा । इसके लिए अमरीकी कानून में उचित संशोधन करना होगा, ताकि इस प्रकार के सहयोग की अनुमति दी जा सके, भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते को पारित करना होगा और परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के दिशा-निर्देशों को तद्नुकूल बनाना होगा । स्पष्ट है कि भविष्य में उठाये जाने वाले प्रतिबंधों की प्रत्याशा में भारत से सुरक्षा-उपायों को अपनाने की आशा नहीं की जा सकती ।

4. मार्च, 2006 के वक्तव्य में बनी सहमति के अनुसार ईंधन आपूर्ति की गारंटी । यदि अमरीका ईंधन आपूर्ति से पीछे हटता है तो वे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के अन्य सदस्य देशों के जरिए ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ।

उत्तर - अमरीका द्वारा ईंधन आपूर्ति के वायदे को पृथक्करण योजना में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है । पृथक्करण योजना में भारत को ईंधन आपूर्ति में बाधा की स्थिति में आपात योजना का भी प्रावधान है । ऐसे मामले में भारत और अमरीका मिलकर आपूर्तिकर्ता मित्र देशों के दल (रूस, फ्रांस और ब्रिटेन) की बैठक बुलाएंगे । इसका उद्देश्य भारत को ईंधन की आपूर्ति को फिर से बहाल करना होगा । समझौते में भारत के इस अधिकार के प्रति समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता कि वह अपने परमाणु रिएक्टरों के कार्यकाल के दौरान ईंधन के सामरिक भण्डार बना सकता है, एक महत्वपूर्ण आश्वासन है । आश्वासनों के बावजूद यदि ईंधन आपूर्ति में बाधा आती है तो भारत को सुधारात्मक कदम उठाने का अधिकार होगा ताकि उसके परमाणु रिएक्टर काम करते रहें।

5. भारत राजीव गांधी योजना या दिल्ली घोषणा के अनुसार परमाणु शस्त्रों से लैस सभी देशों के साथ एक फिजाइल मैटीरियल कट-ऑफ-ट्रीटी (एफएमसीटी)और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कार्य करता रहेगा ।

उत्तर - वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए हमारा समर्थन अडिग है । प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा के विशेष सत्र में एक कार्ययोजना पेश की थी । इस कार्ययोजना के प्रमुख लक्ष्य यानि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार परमाणु शस्त्रों को पूरी तरह समाप्त करके वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण, के प्रति हम कटिबद्ध हैं । भारत ने जिनेवा में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में होने वाले सम्मेलन में फिजाइल मैटीरियल कट-ऑफ-ट्रीटी के लिए वार्ता पर सहमति व्यक्त की है। इस मामले में हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है ।

6. मूल समझौते में अमरीकी इंस्पेक्टरों (पर्यवेक्षकों) का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें केवल आईएईए इंस्पेक्टरों का प्रावधान है । अमरीकी विधेयक के मसौदे में ऐसे प्रावधान किए गए हैं ।

उत्तर - पृथक्करण योजना में, हमने इस योजना में विनिर्दिष्ट परमाणु सुविधाओं को आईएईए सुरक्षा-उपायों के लिए पेश करने की सहमति दी है । सुरक्षा-उपाय किस प्रकार के होंगे, इसका निर्धारण आईएईए के साथ भारत के लिए विशिष्ट रूप से बनाए गए सुरक्षा-उपायों के समझौते द्वारा होगा । ये सुरक्षा-उपाय भारत की परमाणु सुविधाओं के लिए लागू होंगे । इसलिए, भारत के लिए विशेष सुरक्षा-उपाय समझौते के फ्रेमवर्क के बाहर किसी प्रकार के अन्य सत्यापन कदम या हमारे परमाणु सुविधाओं की किसी तीसरे देश के इंस्पेक्टरों द्वारा जांच को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

7. विशेष रूप से भारत के लिए एक अलग प्रोटोकोल हो, न कि आईएईए के संशोधित मानक प्रोटोकोल के अनुसार एक अतिरिक्त प्रोटोकोल हो ।

उत्तर - पृथक्करण योजना में, हमने आईएईए के साथ भारत के लिए विशेष सुरक्षा-उपायों का समझौता करने के प्रति सहमति व्यक्त की है । अतिरिक्त प्रोटोकोल का प्रश्न तभी उठेगा जब भारत के लिए विशेष सुरक्षा-उपाय समझौता कर लिया जाएगा । भारत एक परमाणु शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के गैर-परमाणु शस्त्र वाले देशों पर लागू सुरक्षा-उपाय समझौते या अतिरिक्त प्रोटोकोल को स्वीकार करे ।

8. प्रतिनिधि सभा विधेयक में ईरान का संदर्भ

उत्तर - हम परमाणु समझौते को किसी असंगत मुद्दे से जोड़ना बिल्कुल स्वीकार नहीं करते । भारत की विदेश नीति के बारे में फैसले केवल राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाएंगे ।

9. प्रतिनिधि सभा और सीनेट विधेयकों में प्रसार सुरक्षा पहल का संदर्भ

उत्तर. प्रसार सुरक्षा पहल (पीएसआई) एक असंगत मुद्दा है क्योंकि यह 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के फ्रेमवर्क में नहीं है, इसलिए हम जुलाई वक्तव्य को लागू करने में इसे एक शर्त के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते । सरकार ने पीएसआई पर अलग से विचार किया है । इसके कानूनी प्रभावों और एनपीटी के साथ इसे जोड़ने के बारे में हमारी कुछ चिंताएं हैं । इंटरनेशनल मेरीटाइम संगठन के तहत समुद्री समझौते में गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक के प्रावधानों में संशोधन के बारे में भी हमारी कुछ चिंताएं हैं ।

10. सोवियत संघ को एमएफएन का दर्जा देने को यहूदियों की उत्प्रवासन से जोड़ने के बारे में जैक्सन-वैनिक संशोधन एक ऐसा उदाहरण है, जो मौजूदा बहस में प्रासंगिक है ।

उत्तर - हमने तथाकथित बाध्यकारी तथा गैर-बाध्यकारी प्रावधानों सहित प्रस्तावित अमरीकी कानून का सावधानी से अध्ययन किया है । गैर-बाध्यकारी प्रावधानों में अनिवार्य रूप से कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है । लेकिन साथ ही कानून को पूरी रूप से लागू करने में इसका कुछ प्रभाव जरूरत पड़ेगा । हमने अमरीकी प्रशासन को इस बारे में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है । जैक्सन-वैनिक संशोधन को लागू करने के लिए प्रशासन बाध्य था और मौजूदा विधेयकों के गैर-बाध्यकारी प्रावधानों के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता । जैक्सन-वैनिक संशोधन से ज्यादा सटीक उदाहरण वे प्रावधान हैं, जो चीन को दिए गए **एमएफएन** दर्जे के नवीनीकरण के लिए बनाए गए थे । इनमें चीन के मानव अधिकार, चीन के राजनैतिक तथा धार्मिक कैदी, तिब्बती विरासत का संरक्षण तथा राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संदर्भों को शामिल किया गया था ।

11. विदेश नीति की मंजूरी में संसद की भूमिका

उत्तर . भारत संविधान में विनिर्दिष्ट संसदीय मॉडल का अनुकरण करता है, जिसमें समझौते करने की शक्तियां कार्यपालिका को सौंपी गई हैं । लेकिन हमने अमरीका के साथ हमारी वार्ता के विभिन्न स्तरों के बारे में संसद को पूरी तरह अवगत कराए रखा है। संसद के बाहर और संसद में पूरी तरह घरेलू आम सहमति होना जरूरी होगा । और हम सभी चिंताओं को जहां तक संभव हो पूरी तरह निपटाकर ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे।

(प्रधानमंत्री ने परमाणु वैज्ञानिकों के समूह द्वारा उठाए गए मुद्दों का भी इस प्रकार जवाब दिया)

1. "वास्तविक दुनिया जिसमें हम रहते हैं, उसकी सामरिक जरूरतों के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की हमेशा बदलती जटिलताओं के अनुरूप भारत को अपने परमाणु विकल्प बनाए रखना चाहिए । इसका मतलब यह है कि हम अपने कार्य की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के स्थाई प्रतिबंध को स्वीकार नहीं कर सकते । परमाणु अप्रसार संधि के अस्तित्व में आने के चालीस वर्ष बाद भी हमने ऐसा नहीं किया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें अब इसके आगे घुटने टेक देने चाहिए । सार्वभौमिक परमाणु अप्रसार हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और जब तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हमें अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र नहीं आती, हम स्थाई रूप से किसी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते ।"

उत्तर . हम अपने इस संकल्प पर पूरी तरह दृढ़ हैं कि असैन्य परमाणु ऊर्जा पर अमरीका के साथ जो समझौता हुआ है वह हमारे सामरिक कार्यक्रमों की जरूरतों को किसी भी प्रकार प्रभावित न करे। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की बदलती जटिलताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं । परमाणु शस्त्र हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं और आगे भी तब तक

बने रहेंगे जब तक कि दुनिया से परमाणु शस्त्रों तथा भेद-भावपूर्ण सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण नीति को पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया जाता । सामरिक कार्यक्रमों के बारे में हमारी कार्रवाई की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं है । परमाणु समझौते को भारत पर एनपीटी जैसे प्रतिबंध लगाने की छद्म पद्धति के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी । परमाणु सुविधाओं को स्थाई तौर पर सुरक्षा-उपायों के तहत लाने की हमारी पेशकश सशर्त है, और वह शर्त यह है कि इन सुविधाओं को उनके कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों से ईंधन प्राप्त होता रहे । पृथक्करण योजना में जैसा कि आश्वासन दिया गया है, यदि ईंधन की आपूर्ति बाधित होती है तो भारत को सुधारात्मक कदम उठाने का अधिकार होगा, ताकि ये रिएक्टर निरंतर कार्य करते रहें ।

2. "1974 के बाद, जब बड़ी शक्तियों ने हमारे साथ सहयोग करना बंद कर दिया था, हमने कई संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विकास कर लिया था। इन क्षमताओं पर अब कोई बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं है और यह नियंत्रण होना भी नहीं चाहिए । सुरक्षा उपायों की बात वहां तो समझ में आती है, जहां परमाणु सामग्रियों या प्रौद्योगिकियों के लिए बाहरी सहायता जरूरी है । हम पहले भी इस बारे में सहमत हुए हैं और भविष्य में भी इस बारे में सहमत हो सकते हैं । लेकिन केवल उन्हीं सुविधाओं और सामग्रियों तक ही यह सुरक्षा उपाय सीमित होने चाहिए जिन्हें बाहरी स्त्रोतों से आयात किया गया है ।"

उत्तर . संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी सुविधाओं को पृथक्करण योजना में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें सुरक्षा-उपायों के तहत या बाहरी नियंत्रण के तहत रखने का प्रश्न ही नहीं उठता । यहां तक कि जिन परमाणु सुविधाओं को पृथक्करण योजना में शामिल किया गया है, उन पर भी सुरक्षा उपाय 2006 और 2014 के बीच चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे । सुरक्षा-उपायों के तहत रखी गई इन सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों से ईंधन सामग्री और प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी । इन आपूर्तियों के बंद हो जाने की स्थिति में भारत सुधारात्मक कदमों के जरिए अपने हितों की रक्षा करने लिए स्वतंत्र होगा । भारत के लिए विशेष सुरक्षा-उपाय समझौते में इसे पूरी तरह स्पष्ट किया जाएगा ।

3. " हमें लगता है कि, अमरीका की प्रतिनिधि सभा ने भारत-अमरीका समझौते को जिस रूप में मंजूर किया है, उससे परमाणु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में ही अनुसंधान तथा विकास कार्यों के संचालन की हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा । बाहरी जांच या नियंत्रण, या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को संतुष्ट करने की जरूरत की वजह से हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए । अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास किसी भी राष्ट्र के संप्रभु अधिकार हैं । उन स्थितियों में यह विशेष रूप से और भी जरूरी हो जाता है जब वे राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के मुद्दों से जुड़े हों ।"

उत्तर - परमाणु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास कार्य जारी रखने की हमारी स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । हमारे अनुसंधान तथा विकास कार्यों की बाहरी राष्ट्रों द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी क्योंकि परमाणु सामग्री से जुड़ी हमारी किसी भी अनुसंधान तथा विकास सुविधा को पृथक्करण योजना में शामिल नहीं किया गया है । पृथक्करण योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से संबंधित अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास कार्यों के संचालन के हमारे संप्रभु अधिकारों का हनन होता हो । सरकार देश के विशाल थोरियम संसाधनों के इस्तेमाल तथा तीन स्तरों वाले परमाणु विद्युत कार्यक्रमों की अक्षुण्णुता बनाए रखने के प्रति कटिबद्ध है । टीआईएफआर, वैरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रोन सेंटर, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स आदि सहित कुछ परमाणु सुविधाओं को पृथक्करण योजना में असैन्य परमाणु संस्थानों के रूप में नामजद किया गया है । चूंकि इन संस्थानों में परमाणु सामग्री का उपयोग नहीं होगा इसलिए इन पर सुरक्षा-उपायों के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता । हम आशा करते हैं कि ये केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चलाई जा रही परियोजनाओं में एक पूर्ण साझीदार के रूप में भाग लेंगे।

4. हालांकि इस सहयोग को किस क्रम में लागू किया जाए, यह दोनों देशों की सरकारों के बीच विचार-विमर्श का मुद्दा है, लेकिन जिन सिद्धांतों पर यह परमाणु सहयोग कार्य करेगा उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार संसद और देश के लोगों को होगा । प्रधानमंत्री अमरीकी प्रतिनिधि सभा द्वारा सुझाए गए नए प्रावधानों के मुद्दों को राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ पहले ही उठा चुके हैं । यदि अमरीकी कांग्रेस अपनी सोच के अनुसार विधेयक को इसके मौजूदा स्वरूप में पारित कर देती है तो यह "करार" भारत के लिए अस्वीकार्य हो जाएगा और कूटनीतिक रूप से, बाद में इसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा । इसलिए, हमारी संसद के लिए महत्वपूर्ण है कि इसी स्तर पर ही परमाणु समझौते के लिए बुनियादी नियम बनाए जाए और इन पर जोर दिया जाए ।

उत्तर. मैंने इन दोनों विधेयकों में प्रावधानों के बारे में हमारी चिंताओं को राष्ट्रपति बुश के साथ उठाया है । यह स्पष्ट है कि यदि मौजूदा स्वरूप में ही यह करार अंतिम रूप लेता है तो इस विधेयक को स्वीकार करना भारत के लिए अत्यंत मुश्किल होगा । अमरीका को हमारी स्थिति के बारे में पूरी तरह स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है। विचार-विमर्श के लिए हमारे बुनियादी नियम स्पष्ट हैं । जुलाई वक्तव्य और मार्च की पृथक्करण योजना तथा तीन स्वतः वक्तव्यों में संसद को जताई गई मेरी प्रतिबद्धता के यही पैरामीटर्स हैं तथा आज के विचार-विमर्श में मेरे उत्तर हमारी स्थिति के दिशा-निर्देशक सिद्धांत होंगे । विचार-विमर्श के हर स्तर पर संसद को पूरी तरह अवगत कराया गया है । यदि अमरीकी कानून अपने अंतिम रूप में या एनएसजी (परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता समूह) अपने दिशा-निर्देशों में भारत पर कोई अप्रासंगिक शर्तें लगाता है तो सरकार संसद से किए गए वायदे के अनुरूप आवश्यक निष्कर्ष निकालेगी ।